

फर्द अहकाम

सहायक कलेक्टर, कोइमूर

पुह्लाद

बनाम

सरकार

संख्या / वर्ष

/ 20

दिनांक आहवा या कार्यवाही	आहवा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
--------------------------	---------------------	-------------

20/7/22

पत्रावली वादी द्वारा जरिए अधिवक्ता एक प्रार्थना पत्र वाकत प्रकरण में शीछ सुनवाई फरजे हेतु पेश किए जौन तथा प्रार्थना पत्र शीछ सुनवाई स्वीकर होन पर नियत विनाय से वसामद की जाकर आज तल्लब की गइी अधिवक्ता श्री सुधीर शर्मा ने एक प्रार्थना पत्र वाकत आदरा । नियम 10 सहपठित धारा 151 CPC मय वकालतनामा पेश किया जो शामिल मिशाल किया गया, उपरोक्त प्रार्थना पर 01/10/22 पर वकील वादी द्वारा No objection दिया गया । समोचित उनवाय पेश किया गया, शामिल मिशाल किया गया साथ ही एक अन्य प्रार्थना पत्र वाकत पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जौन हेतु पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया, वकील वादी ने प्रकरण में Not press पर प्रकरण पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जौन के कारण आगे नहीं चलने हेतु निवेदन किया । चूंकि वकील वादी स्वयं प्रकरण आगे नहीं चलाना चाहते रह हेतु Not press भी किया है अतः वकील वादी के Not press के आधार पर प्रकरण खारिज किया जाता है पत्रावली के लल सुमार हो, दर्जन मय से कर लेकर 5/10/22 प्रकाश है

No. 48/2022
20/7/22

सहायक कलेक्टर
कोइमूर (जयपुर)